

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह पतियाल,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक: 07 दिसम्बर, 2018

विषय: जनपद बागेश्वर, तहसील दुगनाकुरी, ग्राम काफली पपोली में 2.990 है० क्षेत्रफल पर सोपस्टोन के खनन पट्टा हेतु श्री दीवान सिंह पपोला पुत्र श्री त्रिलोक सिंह पपोला, निवासी ग्राम व पो० काफली, तहसील दुगनाकुरी, जिला बागेश्वर के पक्ष में खनन पट्टा विलेख निष्पादन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1942/मु०ख०/14/बागे०/भू०खनि०ई०/2015-16, दिनांक 30 नवम्बर, 2018 के साथ संलग्न खनन पट्टा विलेख को निष्पादित कर मूलरूप में इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया उक्त निष्पादित खनन पट्टा विलेख के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए, विलेख की एक प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,


(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उप सचिव

संख्या: 3023 (1) / VII-1 / 2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
2. श्री दीवान सिंह पपोला पुत्र श्री त्रिलोक सिंह पपोला, निवासी ग्राम व पो० काफली, तहसील दुगनाकुरी, जिला बागेश्वर।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(अर्पण कुमार राजू)
अनु सचिव